न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 132/2025(GCMS 2025/521)
(RTI No. 212155316418533)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गांव 5 केएसडी, पो.ऑ. सुखचैपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर – 94619–41862)

नाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर** (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर दिनांक 19.08.2024 राजकाज 10941588 क्रमांक 12(1)प्रसु/अनु–6/2022 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अर्द्धसरकारी संस्थाएं/स्वायतशासी संस्थाएं/निगम/बोर्ड/आयोग/जिला कलक्टर परिपत्र माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर SC Writ No. 10723/2024 Balraj Vs State of Rajasthan & others माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना में प्रस्तुत आवेदन पर **समस्त विभागों** में जिला स्तर से राज्य स्तरीय आवेदन निस्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 132/2025
(GCMS No. 2025/521)
(RTI No. : 212155316418533)

परामर्शदात्री एवं पर्यवेक्षण समिति गठन की दिनांक सहित अध्यक्ष व सदस्यों के पदनाम समिति की प्रमाणित सूची चाही है।

2. **बिन्दु एक के अनुसार** अभ्यावेदन निस्तारण परामर्शदात्री एवं पर्यवेक्षण समिति गठन से लेकर आज दिनांक तक दर्ज प्रकरणों की संख्या बताए व निस्तारण की सूची की प्रमाणित दस्तावेज चाही है।
3. बिन्दु एक के अनुसार आपके कार्यालय क्षेत्र अधीन **समस्त विभागों** के नाम की सूची चाही है एवं उपखण्ड स्तर एसडीएम कार्यालय समस्त विभागों में अभ्यावेदन निस्तारण परामर्शदात्री एवं पर्यवेक्षण समिति गठन दिनांक व समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के पद नाम की सूची चाही गई है।
4. श्रीगंगानगर जिले में समस्त उपखण्ड एसडीएम कार्यालय, तहसील स्तर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा झटका, चिकन, मीट का धन्धा (कारोबार) लाईसेंसदारी की प्रमाणित नाम स्थाई पता सहित सूची चाही है।
5. श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में हॉटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, जलपाल आदि संचालन करने वाले राज्य सरकार के अनुसार लाईसेंसदारी के नाम व स्थाई पता सहित दस्तावेज चाहा है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, जलपान संचालन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों, आदेशों, नियमों की प्रमाणित दस्तावेजों की सूची चाही है।
6. लोक सूचना आईपीओ क्रमांक 70 एफ 120127 भरकर भुगतान कर लेवें, प्रार्थी मुकन्द सिंह सहमति देता है।
7. श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय के क्षेत्र में सरकार विभागों में महिला के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण (प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की पालना में [illegible] कमेटी के सदस्यों के पदनाम की सूची प्रत[illegible] सूची प्रमाणित दस्तावेज सहित चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 29 दिनांक 09.01.2026 जो इरा कार्यालय को लिखा गया था एवं प्रति

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 132/2025
(GCMS No. 2025/521)
(RTI No. : 212155316418533)

सहायक निदेशक लोक सेवाएं, श्रीगंगानगर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.), श्रीगंगानगर प्रेषित की है। सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2026/139 दिनांक 27.01.2025 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र में निवेदन है कि उक्त अपील में वर्णित आर.टी.आई. आवेदन पत्रांक आर.टी.आई/146/2025/843 दिनांक 12.11.2025 इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने केक राण टावदेन मूल ही पुनः श्रीमान अति. जिला कलक्टर, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को लौटा दिया गया था। अतः श्रीमान उक्त सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2026/1630–31 दिनांक 23.01.2026 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> 1. श्रीमानजी श्री मुकन्द सिंह, निवासी सुखचैनपुरा, श्रीगंगानगर इस कार्यालय को आप द्वारा प्राप्ति क्रमांक 14188 दिनांक 19.11.2025 हे।
> 2. श्रीमान्. अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक आर.टी.आई./––/2025/29 दिनांक 09.01.2026 की पालना में सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/ 2025/25420 दिनांक 18.12.2025 को भिजवा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना [illegible] अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सूचनाओं के **सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है,** इस न्यायालय को [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्बन्धित बिन्दुओं की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

आप द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 एवं 7 में चाही गई सूचना किसी एक विभाग से सम्बन्धित नही है और एक से अधिक लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। **ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया जाना माना जाता है। आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग–अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करें।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना [illegible] अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित [illegible] प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी [illegible] बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधि[illegible] से यह अपेक्षित है कि**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 132/2025
(GCMS No. 2025/521)
(RTI No. : 212155316418533)

वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए आप द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:20 IST
Reason: SelfAttested